मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/288/365/2021/50-2 भोपाल, दिनांक 01/02/2021

आदेश

राज्य सरकार द्वारा बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 तथा समेकित बाल संरक्षण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता की श्रेणी में आने वाले बच्चों को सुरक्षित एवं बालमैत्री वातावरण प्रदान करने, बाल संरक्षण सेवाओं की बेहतर पहुँच एवं उनमें गुणवत्तापूर्ण सुधार के साथ–साथ सतत् निगरानी करने, नवाचार गतिविधियों द्वारा बाल संरक्षण के विषय में समुदाय को संवेदनशील तथा जागरूक करने, जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ समन्वय स्थापित कर बाल अधिकार के मुद्दों पर कार्य योजना तैयार कर उनका क्रियान्वयन के लिए समुदाय एवं पंचायत की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति (Panchayat Child Protection Committee- PCPC) का निम्नानुसार गठन करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है–

क.	सदस्य का नाम	समिति में पद
1.	सरपंच ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2.	पंचायत सचिव	सदस्य सचिव
3.	वार्ड पंच (समस्त)	सदस्य
4.	प्रधानाध्यापक, स्थानीय शासकीय विद्यालय	सदस्य
5.	संबंधित पुलिस थाना प्रभारी द्वारा नामित बीट कान्सटेबल	सदस्य
6.	आशा कार्यकर्ता ग्राम पंचायत मुख्यालय	सदस्य
7.	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता (डी.सी.पी.यू. का प्रतिनिधि), पर्यवेक्षक द्वारा नामित	कोषाध्यक्ष
8.	अध्यक्ष, संबंधित शाला प्रबंधन समिति स्थानीय शासकीय विद्यालय	सदस्य
9.	दो बाल प्रतिनिधि (आयु 12 से 16 वर्ष, एक बालक एवं एक बालिका) प्रधानाध्यापक द्वारा नामित	सदस्य
10.	समुदाय के दो सम्मानित सक्रिय नागरिक (कम से कम एक महिला) तथा एक स्वयं सेवी संस्था प्रतिनिधि/सामाजिक कार्यकर्ता (सरपंच द्वारा नामित)	सदस्य
11.	शौर्य दल के दो प्रतिनिधि (पर्यवेक्षक द्वारा नामित)	सदस्य

नोट– समिति में निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों के बदलाव होने पर चयनित नव निर्वाचित प्रतिनिधि उक्त संचालन के संबंध में विस्तृत जानकारी व वस्तुस्थिति से अवगत कराने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव तथा सदस्य सचिव ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की होगी।

ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति अपने क्षेत्र में बाल मैत्री वातावरण निर्माण कर बाल संरक्षण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगी।

1. समिति द्वारा अपने क्षेत्र में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों जोखिम संभावित परिवारों का चिन्हीकरण कर, ऐसे बच्चों व परिवारों की विस्तृत जानकारी निर्धारित प्रारूप या रजिस्टर में संधारित करेगी। समिति इस संबंध में ग्राम पंचायत में आने वाले सभी राजस्व ग्राम एवं वार्ड के वार्डपंचो द्वारा वार्डवार देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों व जोखिम संभावित परिवारों का आंकड़ा इकट्ठा करेगी तथा सभी सभी आंकड़ों ग्राम सचिव को उपलब्ध करायेगी। ग्राम सचिव वार्डवार प्राप्त सभी आंकड़ों/सूचनाओं को निर्धारित प्रारूप में संधारित करेगा।
2. उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर समिति अपनी वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी तथा इसे ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति तथा जिला बाल संरक्षण इकाई के मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु साझा करेगी तथा कार्ययोजना को अन्तिम रूप देने हेतु इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी तथा चिन्हित बच्चों/ परिवारों को विभिन्न विभागों की उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ाव कर लाभान्वित करवाना सुनिश्चित करेगी।
3. समिति बाल संरक्षण से संबंधित मुख्य चुनौतियों, उपलब्धियों एवं अवसरों के विषय में संबंधित ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति तथा जिला बाल संरक्षण इकाई को त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित करेगी।
4. समेकित बाल संरक्षण योजना में उल्लेखित गैर संस्थागत देखभाल/परिवार आधारित देखभाल कार्यक्रम यथा पालन–पोषण देखभाल (फोस्टर केयर), प्रर्वतकता कार्यक्रम (स्पॉन्सरशिप) इत्यादि का ग्राम पंचायत स्तर पर बढावा देते हुए इन कार्यक्रमों का बेहतर क्रियानवयन सुनिश्चित करेगी।
5. समिति अपने क्षेत्र में बाल मैत्री सूचकों यथा बच्चों का जन्म पंजीकरण, आधार पंजीकरण, पूर्ण टीकाकरण, शाला पूर्व शिक्षा,06 वर्ष से अधिक आयु के सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन/नियमितता, बाल मजदूरी व बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत बनाना सुनिश्चित करेगी।
6. समिति अभिभावक एवं समुदाय को जागरूक तथा संवेदनशील कर बच्चों को सतत् स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेगी।
7. समिति बच्चों पर हो रही हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार जैसे बच्चों के साथ मारपीट, बाल मजदूरी, बाल विवाह, बाल तस्करी, यौन शोषण जैसे विषयों पर सामुदायिक संगठनों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ मिलक परिवार एवं समुदाय को जागरूक एवं संवेदनशील करेगी।

8. समिति बाल तस्करी/ बाल श्रम से मुक्त, अनाथ, निराश्रित बच्चों का ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति तथा जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ समन्वय स्थापित कर ऐसे बच्चों का पुनर्वास एवं समाज में पुर्नः स्थापना सुनिश्चित करेगी।
9. समिति बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित किये जाने हेतु ग्राम में बाल अधिकार समूह (चाइल्ड राईट्स क्लब) का गठन व संचालन को बढ़ावा देगी तथा उक्त समूहों/ क्लबों को प्रेरित करेगी, साथ ही समिति अपनी बैठकों में बच्चों की सहभागिता भी सुनिश्चित करेगी ।
10. समिति ग्राम सभा हेतु नियत दिवसों के अतिरिक्त बच्चों से जुड़े विशेष दिवसों यथा राष्ट्रीय बालिका दिवस (24 जनवरी) विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस (12 जून) शिक्षक दिवस (05 सितम्बर) बाल दिवस (14 नवम्बर) , अन्तर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस (20 नवम्बर) सहित अन्य महत्वपूर्ण दिवसों पर विशेष बाल सभा का आयोजन करेगी, जिसमें समुदाय को बच्चों के अधिकारों एवं संरक्षण के मुद्दों के विषय में जागरूक करेगी।
11. समिति ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु एकत्रित किये जाने वाले आंकड़ों के प्रारूप एवं प्रपत्रों में बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार से संबंधित सूचकों को निर्धारित प्रारूप एवं प्रपत्रों में सम्मिलित करवाना सुनिश्चित करेगी तथा पंचायत विकास योजना में बच्चों के मुद्दों को भी शामिल करवायेगी तथा इसका प्रभावी क्रियान्वयन करवाना सुनिश्चित करेगी।
12. समिति उपरोक्त दिनांक को आयोजित बैठकों की जानकारी एवं गतिविधियों की एक प्रति अनिवार्य रूप से ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति को प्रेषित करेगी। इसके अतिरिक्त भी यदि कोई विशेष घटना घटित होती है या विशेष प्रयास किये जाते है तो पंचातय सचिव/ आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा इसकी जानकारी तत्काल विकासखण्ड स्तरीय समिति को दी जाना चाहिये।
13. प्रत्येक बैठक में कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति में किये गये निर्णय ही वैध/मान्य होंगे। समिति के सदस्यों द्वारा किये गये कार्यो का अनुमोदन किया जाना आवश्यक होगा।

उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ.क्र. / 289/365/2021/50-2 भोपाल, दिनांक 01/02/2021

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
9. संभागीय आयुक्त, संभाग समस्त, म.प्र.।
10. कलेक्टर जिला समस्त, म.प्र.।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की ओर आवश्यक निर्देश पंचायतों को जारी करने हेतु।
12. संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास, संभाग समस्त, म.प्र.।
13. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला समस्त, म.प्र.।
14. जनपद अध्यक्ष, सम्बंधित जनपद पंचायत, म.प्र.।
15. अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व)
16. अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस
17. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
18. बाल विकास परियोजना अधिकारी, संबंधित परियोजना
19. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सम्बंधित विकासखण्ड
20. चिकित्सा अधिकारी, सम्बधित विकासखण्ड
21. समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी सम्बधित विकासखण्ड
22. श्रम कल्याण अधिकारी / श्रम निरीक्षक सम्बधित विकासखण्ड
23. सम्बंधित अध्यक्ष / सदस्य सचिव / कोषाध्यक्ष, पंचायत बाल संरक्षण समिति, सम्बंधित पंचायत।
24. सम्बंधित सदस्य, पंचायत बाल संरक्षण समिति, सम्बंधित पंचायत।

उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग